

आराजी सं. 720
री रिकार्ड

पंकरण सं.

उपनाम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
आदेश को इस
हुकम की सामग्री
में दर्ज है

30/1/25

पंजाब का न्यायिक कार्य में सुधार
अधिनियम 1936 की धारा 136 के अन्तर्गत
दिनांक 7/8/25 को पेश हो।
आदेश सेक्टर

7/8/25

पत्रावली चेन्नई) वादी एवं वादी अधिवक्ता
अनुपस्थित। वादी एवं वादी अधिवक्ता को निम्नानुसार
तीन बार आवहें लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया।
वादी एवं वादी अधिवक्ता की निम्नानुसार न्यायार्थित
में पुनः एकबार आवहें लगाई गई, वादी एवं वादी
अधिवक्ता उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधि-
क उपस्थित नहीं आये। वादी द्वारा उत्तुत वाद पत्र
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (क) वादाभास कायम
कादी अधिनियम एवं 136 शु-वाचस्व अधिनियम की
अवम हाचकी। अवम पैामी मै' जारिच किया जाता
है। निम्न सरे रजलात सुनाया गया। पत्रावली
कैतल शुमार होकर वाचल वाचल ही लला लकर
के कम हो।


7/8/25

सहायक कलक्टर
मीलवाड़ा